ग्राम पंचायत बसन्तपुर, विकास खण्ड बसन्तपुर, जिला शिमला के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 04/2013 से 03/2016

1 **(क) प्रस्तावना:-** ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप-सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या: PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669, दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हि. प्र. , को सौंपे जाने के दृष्टिगत , ग्राम पंचायत बसन्तपुर, विकास खण्ड बसन्तपुर , जिला शिमला के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान:-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्री रण बहादुर सिंह	23.1.2011 से 22.1.2016
2	श्री बालक राम कश्यप	23.1.2016 से लगातार

सचिव:-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्री कुलदीप भण्डारी	8.6.2011 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत बसन्तपुर के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम सं0	पैरा सं0	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	4 (ग)	मनरेगा की वित्तीय स्थिति का दिनांक 31.3.14 को नकारात्मक (Minus) शेष पाया जाना	0.23
2	5(क)	बैंक समाधान विवरण तैयार न किए जाने के कारण रोकड़ बही और बैंक खातों में अन्तर	0.90
3	9 (क)	पंचायत राजस्व की वसूली शेष	0.20

4	10	अनुदानों का उपयोग न करना	10.26
5	11	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की स्टॉक प्रविष्टियां न करना	3.45
6	12	निविदाओं की औपचारिकता पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय	6.77
7	13	संविदाकार से वैधानिक कटौतियां न करना	0.22
8	15 (क)	आबंटित राशि के स्वीकृत पत्र/उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना	1.97
9	15 (ग)	भुगतान का विवरण न देना	1.00
10	15 (घ)	हस्तगत राशि का संभावित गबन	0.12
11	15 (छ)	विविध बिल/वाउचर अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	0.67
12	16 (क)	मनरेगा के बिल/वाउचर अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	5.48
13	16 (ख)	व्यय की प्रविष्टियाँ रोकड़ वही मे न करना	0.92
14	17(क,ख)	चैक डैम के निर्माण कार्यों में संदेहास्पद भुगतान	2.22
15	17 (ग)	सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में वापिस न लेने पर हानि	0.12
16	18 (क)	प्राप्त राशि की रसीदें जारी न करना	12.82

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत बसन्तपुर , विकास खण्ड बसन्तपुर , जिला शिमला के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री मनजीत भाटिया , अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 16.9.2016 से 17.9.2016 व 26.9.2016 से 29.9.2016 तक ग्राम पंचायत बसन्तपुर के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 9/2013, 6/2014, 2/2016 व 6/2013, 3/2015, 11/2015 का चयन किया गया , जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया हैं।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत बसन्तपुर , विकास खण्ड बसन्तपुर , जिला शिमला के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6,000/- बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि. प्र. शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 06, दिनांक 29.9.2016 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत बसन्तपुर से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत बसन्तपुर द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी।

(क) स्व: स्त्रोत व विविध अनुदान :- ग्राम पंचायत बसन्तपुर के अवधि 04/2013 से 03/2016 की स्व स्त्रोत व विविध अनुदानों (मनरेगा व वॉटर शेड योजना को छोड़कर) की वित्तीय स्थिति का **"परिशिष्ट-क"** अनुसार विवरण नीचे दिया गया है।

सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि स्व स्त्रोत एवं विविध अनुदानों (मनरेगा व वॉटर शेड योजना के अन्तर्गत प्राप्त अनुदानों के अतिरिक्त) की आय/व्यय को एक ही रोकड़ बही में लेखांकित करके बैंक खातों में जमा करवाया गया है। इसके अतिरिक्त रोकड़ बही में लेखांकित स्व स्त्रोत एवं विविध अनुदानों की आय/व्यय की खाता बहियों (Ledger Accounts) का निर्माण नहीं किया गया है जिसके अभाव में स्व स्त्रोत एवं विविध अनुदानों की आय/व्यय को अलग-अलग नहीं किया जा सकता। अत: रोकड़ बही अनुसार वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से प्रस्तुत की गई है:-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तशेष
2013-14	128898.16	1613285	1742183.16	1702380	39803.16
2014-15	39803.16	3062592	3102395.16	2751232	351163.16
2015-16	351163.16	1883017	2234180.16	1460918	773262.16

नोटः- रोकड़ बही में मासांत/वर्षान्त प्रारम्भिक व अन्तिम शेष नहीं दर्शाये गए हैं । अतः रोकड़ बही में दर्शाई गयी हस्तगत राशि के अतिरिक्त बैंक पास बुकों के दिनांक 1.4.2013 के प्रारम्भिक शेष को ही वित्तीय स्थिति का दिनांक 1.4.2013 का प्रारम्भिक शेष (**Opening Balance)** लिया गया है।

(ख) अनुदान :- ग्राम पंचायत बसन्तपुर की अवधि 4/2013 से 3/2016 के अनुदानों (मनरेगा व वॉटर शेड योजना) की वित्तीय स्थिति का **"परिशिष्ट-क"** अनुसार विवरण निम्न प्रकार से है:-

मनरेगा:-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तशेष
2013-14	23382	1559218	1582600	1605748	-23147.7
2014-15	-23147.7	1764076	1740928	1634629	106298.9
2015-16	106298.9	317702	424000.9	319174	104826.92

नोटः- रोकड़ बही में मासांत/वर्षान्त प्रारम्भिक व अन्तिमशेष नहीं दर्शाये गए हैं । अतः बैंक पास बुकों के दिनांक 1.4.2013 के प्रारम्भिक शेष को ही वित्तीय स्थिति का दिनांक 1.4.2013 का प्रारम्भिक शेष (**Opening Balance)** लिया गया है।

वॉटर शेड:-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तशेष
2013-14	53294	2386854	2440148	2215370	224778
2014-15	224778	744339	969117	856615	112502
2015-16	112502	869225	981727	833575	148152

नोटः- रोकड़ बही में मासांत/वर्षान्त प्रारम्भिक व अन्तिमशेष नहीं दर्शाये गए हैं । अतः रोकड़ बही में दर्शाई गयी हस्तगत राशि के अतिरिक्त बैंक पास बुकों के दिनांक

1.4.2013 के प्रारम्भिक शेष को ही वित्तीय स्थिति का दिनांक 1.4.2013 का प्रारम्भिक शेष (**Opening Balance)** लिया गया है।

(ग) मनरेगा योजना की वित्तीय स्थिति का दिनांक 31.3.2014 को ₹23,147.70 का नकारात्मक (Minus) शेष पाया जाना:-

ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-क"** प्रस्तुत रोकड़ बही पर आधारित अवधि 4/2013 से 3/2016 की वित्तीय स्थिति का अवलोकन करने पर पाया गया कि मनरेगा योजना में दिनांक 31.3.2014 को अंतशेष ₹(-) 23,147.70 था जोकि एक नकारात्मक शेष है। चर्चा के दौरान सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि मनरेगा रोकड़ बही में मासांत/वर्षान्त को प्रारम्भिक व अन्तिमशेष नहीं दर्शाये गए हैं, इसलिए बैंक पास बुकों के दिनांक 1.4.2013 के प्रारम्भिक शेष को ही वित्तीय स्थिति का दिनांक 1.4.2013 का प्रारम्भिक शेष (**Opening Balance)** लिया गया है। इस प्रकार संभवत: रोकड़ बही में प्रत्येक मास में प्रारम्भिक व अन्तिमशेष न दर्शाने, बैंक समाधान विवरण तैयार न करने के कारण उक्त नकारात्मक शेष आया हो जो कि अंकेक्षण अवधि से पहले से मौजूद हो। इसके अतिरिकत अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 03 , दिनांक 17.9.2016 कि अनुपलना में यह भी सूचित किया गया कि इस त्रुटि का शीघ्र समाधान करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अत: इस सम्बंध में शीघ्र अपेक्षित कार्यवाही करके कृत अनुपलना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

5 (क) बैंक समाधान विवरणी:-

ग्राम पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(2) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की जा रही है जिसके कारण दिनांक 31.3.2016 को रोकड़ बही और बैंक खातों के अन्तशेष में निम्न विवरणानुसार **₹1,82,864.92** का अन्तर पाया गया जिसमें से केवल ₹92,808/- का ही समाधान पाया गया जबकि शेष ₹90,056.92 (182864.92-92808) का समाधान नहीं किया गया था। इस सन्दर्भ में पंचायत सचिव द्वारा सूचित किया गया कि बैंक समाधान विवरण तैयार न किए जाने के कारण यह अन्तर है जिसका समाधान शीघ्र कर लिया जाएगा। अत: नियमानुसार बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए मासिक

आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार की जानी सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त दिनांक 31.3.2016 को रोकड़ बही के अंतशेष और बैंक खातों के अन्तशेष के अन्तर ₹90,056.92 का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाना सुनिश्चित किया जाए:-

क्रम सं०	विवरण		राशि (₹)
1	रोकड़ बही पर आधारित वित्तीय स्थिति अनुसार शेष:-		1026241.08
	(i) स्व-स्त्रोत व विविध अनुदान- **पैरा 4(क)**	773262.16	
	(ii) मनरेगा- पैरा **4(ख)**	104826.92	
	(ii) वॉटर शेड- पैरा **4(ग)**	148152	
2	बैंक खातों के अनुसार शेष **(परिशिष्ट-ख)**		843376.16
3	अन्तर		182864.92

(ख) अन्तर का कारण:-

1	रोकड़ बही पर आधारित वित्तीय स्थिति अनुसार शेष:-		1026241.08
	वॉटर शेड रोकड़ बही अनुसार हस्तगत राशि	-506	182864.92
	(-) मनरेगा रोकड़ बही अनुसार माह 3/2015 में Online व्यय का कुल योग ₹12,50,118/- दर्शाया था परन्तु वास्तव में ₹11,57,816/- के व्यय (मस्ट्रोल) की प्रविष्टियां ही पाई गईं। अतः रोकड़ बही में ₹92,302/- के व्यय की प्रविष्टियां नहीं की गई थीं।	-92302	
	(-) राशि जिसका समाधान नहीं किया गया था [सामान्य रोकड़ बही ₹77,532/- व मनरेगा रोकड़ बही ₹12,524.92 (104826.92-92302)]	-90056.92	
2	बैंक खातों के अनुसार शेष **(परिशिष्ट-ख)**		843376.16

6 निवेश:- सचिव ग्राम पंचायत बसन्तपुर द्वारा उपलब्ध करवाई गयी सूचना के अनुसार पंचायत निधि से कोई भी राशि सावधि जमा में निवेश नहीं थी।

7 (क) रोकड़ बही व बैंक खातों का नियमानुसार रख-रखाव न करना:-

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त , बजट लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत में एक रोकड़ बही के निर्माण का प्रावधान है तथा नियम 4 के अंतर्गत ग्राम पंचायत की स्व-स्त्रोत से प्राप्त आय और

अनुदानों की प्राप्ति हेतु बैंक में दो खाते (खाता-'क" व खाता-'ख") खोले जाने का प्रावधान है। खाता-'क" में पंचायत के स्व-संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता- 'ख" में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाये जाने का प्रावधान है। परन्तु अंकेक्षण को प्रस्तुत अभिलेख अनुसार ग्राम पंचायत बसन्तपुर में तीन रोकड़ बहियों (सामान्य , मनरेगा व वॉटर शेड) का निर्माण किया गया है तथा 12 विभिन्न बैंक खाते खोले गए हैं। अतः नियमों के विपरीत रोकड़ बहियों के निर्माण व बैंक खाते खोले जाने बारे उचित स्पष्टीकरण देने के साथ ही भविष्य में नियमानुसार ही रोकड़ बही व बैंक खातों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये व कृत अनुपालना से इस विभाग को तदानुसार अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(ख) रोकड़ बही को सही प्रकार से नहीं लिखना:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि रोकड़ बही की गणनाओं में अनेकों गलतियाँ की गयी थीं। हस्तगत राशि की भी सही प्रकार से गणना नहीं की गयी थी। हस्तगत राशि को कभी कम/कभी ज्यादा दर्शाया गया था। रोकड़ बही के मासांत/वर्षान्त शेष नहीं दर्शाये गये थे जिसके कारण गणनाओं में गलतियों का प्रभाव नहीं दर्शाया गया था। इसी प्रकार वित्तीय स्थिति व बैंक के अन्तर का समाधान भी नहीं किया गया था। अतः पाई गयी त्रुटियों/अनियमितताओं बारे उचित स्पष्टीकरण दिया जाये व सुनिश्चित किया जाये कि अंकेक्षणाधीन अवधि में इस प्रकार की त्रुटियों के चलते कोई भी वित्तीय अनियमितता नहीं हुई है। अनुपालना से तदानुसार अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8 (क) बजट प्राक्कलन तैयार न करना :

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन केवल ग्राम पंचायत की कार्यवाही पुस्तिका (Minutes Book of Gram Panchayat) में तैयार किया गया था एवं पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर ही इसे पारित करवाया गया था। इस प्रकार सचिव द्वारा निर्धारित फार्म-11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किए जाए।

(ख) निर्माण कार्यों के प्राक्कलन/अभिलेख इत्यादि का सही प्रकार से रख-रखाव न करना-

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 व 95 की अनुपालना में पंचायत द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु अपेक्षित प्राक्कलन , आरेखण, प्रशासनिक अनुमोदन व तकनीकी स्वीकृति, मापन पुस्तिका , कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र , उपयोगिता प्रमाण पत्र इत्यादि से संबन्धित अभिलेख का सही प्रकार से रख-रखाव नहीं किया गया था। सचिव , ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि सामान्य निधि व वॉटर शेड निधि के निर्माण कार्यों से संबन्धित उपरोक्त अधिकतर अभिलेख खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय में है जबकि पंचायत के पास उपलब्ध उक्त निधियों के शेष अभिलेख व मनरेगा के अभिलेख को भी व्यवस्थित/क्रमवद्ध तरीके से नहीं रखा गया था जिसके अभाव में व्यय के अंकेक्षण हेतु चयनित मासों में निर्माण कार्यों पर किये गये व्यय की पूर्ण जांच नहीं की जा सकी। मापन पुस्तिकाओं में मनरेगा कार्यों के मूल्यांकन को तकनीकी सहायक के अतिरिक्त किसी भी अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था , कार्यों के आधे-अधूरे विवरण दर्ज थे व निर्माण सामग्री की उपभोग तलिकाएं भी नहीं बनाई गयी थी। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण को यह भी सूचित किया गया कि अंकेक्षणाधीन अवधि में अधिकतर निर्माण कार्यों की Assessment मापन पुस्तिकाओं में कार्य पूर्ण होने के पश्चात अन्तिम बिल के रूप में एकमुश्त की जा रही थी जबकि यह चलित बिल अनुसार की जानी अपेक्षित थी। अतः व्यय के अंकेक्षण हेतु चयनित मासों से संबन्धित उक्त अभिलेख को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाये। साथ ही सुझाव दिया जाता है कि पंचायत के समस्त अभिलेख का रख-रखाव व्यवस्थित/क्रमवद्ध तरीके से किया जाये तथा प्रत्येक निर्माण कार्य की मापन पुस्तिकाओं में Assessment चलित बिल अनुसार की जानी सुनिश्चित की जाये ताकि पंचायत द्वारा निष्पादित करवाये जा रहे लाखों रुपए के निर्माण कार्यों की उचित जांच सुनिश्चित हो सके व किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता की सम्भावना न रहे।

9 (क) पंचायत राजस्व ₹0.20 लाख की वसूली शेष:-

पंचायत द्वारा स्व स्त्रोतों से प्राप्त आय से संबन्धित **"परिशिष्ट-ग"** में दिये गए विवरणानुसार दिनांक 31.3.2016 तक ₹19,865/- की राजस्व वसूली शेष थी। अत:

उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने का कारण स्पष्ट किया जाये व इसकी शीघ्र वसूली सुनिश्चित की करके कृत अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये।

(ख) दुकानों/स्टालों व मोबाइल टॉवरों के पूर्ण अभिलेख के अभाव में राजस्व की हानि:-

सचिव , ग्राम पंचायत बसन्तपुर द्वारा **परिशिष्ट- घ** पर सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत के अभिलेख के अनुसार अपनी पंद्रह-सोलह दुकानें/स्टॉल हैं। परन्तु पंचायत के पास आबंटियों के साथ अनुबन्ध, प्रति माह किराया तथा वर्तमान तक कुल वसूली योग्य राशि बारे अभिलेख में पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है, जबकि इस सम्बन्ध में सूचित किया गया कि शीघ्र ही पूर्ण जानकारी प्राप्त करके आवश्यक कार्यवाही अमल में लाकर वसूली योग्य राशि की वसूली कर ली जाएगी। इसी प्रकार यह भी सूचित किया गया कि पंचायत के अभिलेख के अनुसार पंचायत के क्षेत्र में चार मोबाइल टावर स्थापित हैं , परन्तु यह टावर कब-2 स्थापित हुये व वर्तमान तक मोबाइल कम्पनियों से कितनी राशि स्थापना शुल्क व वार्षिक नवीनीकरण शुल्क की वसूली योग्य शेष थी की पूर्ण जानकारी पंचायत के पास उपलब्ध नहीं है , जबकि इस सम्बन्ध में भी शीघ्र ही पूर्ण जानकारी प्राप्त करके आवश्यक कार्यवाही अमल में लाकर वसूली योग्य राशि की वसूली कर ली जाएगी। अतः उपरोक्त आवश्यक अभिलेख/जानकारी के अभाव में ग्राम पंचायत को लगातार हो रही राजस्व की हानि बारे पूर्ण स्पष्टीकरण दिया जाये तथा इस सम्बन्ध में शीघ्र अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये।

10 अनुदान ₹10.26 लाख का उपयोग न करना:-

पंचायत द्वारा **"परिशिष्ट-क"** पर उपलब्ध करवाई गई वित्तीय स्थिति/सूचना अनुसार दिनांक 31.3.2016 को अनुदानों की कुल ₹10,26,241.08 उपयोग हेतु शेष थी। सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि स्व-स्त्रोत व विविध अनुदानों से संबन्धित आय-व्यय के सम्बन्ध में खाता बहियों (Ledger Accounts) का निर्माण नहीं किया गया है जिसके कारण स्व-स्त्रोत व विविध अनुदानों के आय-व्यय को अलग-अलग नहीं किया जा सकता। अत: सुझाव दिया जाता हैं कि पंचायत निधि खाता- 'क" व खाता- 'ख" के अनुसार ही रोकड़ बही का लेखांकन करके खाता बहियों का निर्माण किया जाना सुनिश्चित किया जाये। इसके अतिरिक्त दिनांक 31.3.2016 को स्व-स्त्रोत व विविध अनुदानों के संकलित अन्तिम शेष में से विविध अनुदानों के अन्तिम शेष को अलग किया जाए तथा समस्त अनुदानों (विविध , मनरेगा व वॉटर शेड) की राशि को विहित

अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये अनुदानों के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यर्पण संबन्धित संस्था को किया जाए।

11 ₹3.45 लाख के स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की स्टॉक प्रविष्टियां न करना:-

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1)(ए० से डी०) के अंतर्गत पंचायत द्वारा क्रय की गयी वस्तुओं का स्थाई एवं अस्थाई प्रकृति के अनुरूप फार्म 25, 26, 27 एवं 28 में लेखांकन किया जाना आपेक्षित था। सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि स्थायी व अस्थाई भण्डार रजिस्टर का निर्माण नहीं किया गया है। उपरोक्त महत्वपूर्ण अभिलेख के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि समय-2 पर मदवार कितना स्टोर/स्टॉक क्रय किया, कितना जारी किया तथा किसी विशेष तिथि को कितनी मात्रा शेष थी, जबकि पंचायत द्वारा अंकेक्षणाधीन अवधि 4/2013 से 3/2016 तक लाखो रूपये के स्थायी व अस्थाई स्टोर/स्टॉक का क्रय किया गया था। व्यय के अंकेक्षण हेतु चयनित मासों में अभिलेख की जाँच में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा ₹3,44,740/- की विभिन्न मदों, जिनका विवरण **"परिशिष्ट-ङ"** में दिया गया है, का क्रय किया था परन्तु इन्हें भण्डार रजिस्टरों में दर्ज नहीं किया गया था। नियमों के विपरीत उक्त अभिलेख का निर्माण न करना अनियमित ही नहीं अपितु गम्भीर आपत्तिजनक भी है जिससे पंचायत निधियों के दुरुपयोग से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः अंकेक्षणाधीन अवधि 4/2013 से 3/2016 के दौरान क्रय किये गये समस्त स्टोर/स्टॉक को भण्डार रजिस्टर में दर्ज किया जाये तथा सुनिश्चित किया जाये कि उक्त अभिलेख के अभाव में निधियों का कोई दुरुपयोग नहीं हुआ है। कृत अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाये।

12 निविदाओं की औपचारिकता पूर्ण किए बिना ₹6.77 लाख के स्टॉक स्टोर का क्रय करना:-

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक स्टोर का क्रय करने की औपचरिकतायें पूर्ण करना अपेक्षित है। चयनित मासों में व्यय वाऊचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **"परिशिष्ट-च"** में दिये गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹6,77,165/- के स्टोर-स्टॉक का क्रय निविदाओं इत्यादि की औपचारिकता पूर्ण किए बिना किया गया, जोकि उक्त नियमों

के अनुसार न होने के कारण न केवल अनियमित व आपत्तिजनक है बल्कि इस कारण पंचायत को बाज़ार की प्रतिस्पर्धी दरों के लाभ से वंचित होना पड़ा। अत: स्टोर-स्टॉक का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13 ₹0.22 लाख की संविदाकार से वैधानिक कटौतियां न करना:-

अकेक्षण के दौरान पाया गया कि चयनित माह 6/2013 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों हेतु संविदाकारों को भुगतान किया गया था परन्तु भुगतान बिलों से नियमानुसार ₹21,900/- की विभिन्न वैधानिक कटौतियां नहीं की गयी जिनका विवरण नीचे दिया गया है:-

क्रम सं०	बिल संख्या	दिनांक	कार्य का नाम	संविदाकार का नाम	बिल राशि (₹)
1	101	12.5.13	जेसीबी मशीन द्वारा तरौरटू से मालवण तक सड़क निर्माण	मै० शिद्धिदात्री इंटरप्राइजिज़, बसन्तपुर	146000
				प्रतिभूति राशि (Refundable) 10%	14600
				आय कर 2%	2920
				बिक्री कर 2%	2920
				लेबर सैस 1%	1460
				कुल	**21900**

अतः संविदाकार के भुगतान बिलों से वैधानिक कटौतियां न करने के कारण सरकार को राजस्व की हानि हुई जिसका उचित स्पष्टीकरण दिया जाये तथा अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये। साथ ही भविष्य में इस प्रकार की वित्तीय अनियमितता न दोहराई जाए।

14 निर्माण सामग्री से ₹0.10 लाख के Voids की कटौती न करना:-

अभिलेख की जांच में पाया गया कि चयनित मासों में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों हेतु जो रेत और पत्थर क्रय किया गया उस पर नियमानुसार voids की कटौती की जानी अपेक्षित थी। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा **"परिशिष्ट-छ" पर** उपलब्ध

करवाई गयी सूचना के अनुसार निर्माण सामग्री से voids की कटौती न करने के कारण आपूर्तिकर्ता को ₹9,863/- का अधिक भुगतान किया गया। अतः किए गए अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये।

सामान्य निधि:-

15 (क) ₹1.97 लाख की आबंटित राशि के स्वीकृत पत्र/उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना:-

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह 3/2015 में पाया गया कि निम्न लाभार्थियों को इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत मकान निर्माण हेतु ₹1,97,000/- की राशि जारी की गयी। परन्तु इस राशि के व्यय से संबन्धित बिल/वाउचर , संबन्धित सक्षम अधिकारी का "स्वीकृती पत्र" व कार्य निष्पादन उपरान्त अपेक्षित "उपयोगिता प्रमाण पत्र" अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे व्यय की पूर्ण जांच न हो सकी। अतः इस सम्बन्ध में आवश्यक स्पष्टीकरण देते हुये अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के समय प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये:-

क्रम सं०	लाभार्थी का नाम	पता	रोकड़ बही पृष्ठ/दिनांक	राशि (₹)
1	श्रीमति निशा पत्नी श्री कर्ण सिंह	गाँव कोठीसेर, बसन्तपुर	83/9.3.15	20000
2	-यथोपरि-	-यथोपरि-	83/9.3.15	13500
3	श्रीमति सीता देवी, पत्नी श्री ठाकुर सिंह	गाँव नड़ूखर, बसन्तपुर	85/30.3.15	8500
4	श्री कर्म चन्द पुत्र श्री माठु राम	गाँव नालट, बसन्तपुर	85/30.3.15	32500
5	श्रीमति रूप चंदी पत्नी श्री तिलक राम	गाँव नालट, बसन्तपुर	85/30.3.15	32500
6	श्री कर्म चन्द पुत्र श्री माठु राम	गाँव नालट, बसन्तपुर	85/30.3.15	7500
7	श्रीमति रूप चंदी पत्नी श्री	गाँव नालट,	85/30.3.15	7500

	तिलक राम	बसन्तपुर		
8	श्रीमति गंगा दासी पत्नी श्री दुगला राम	गाँव जाण्डर, बसन्तपुर	85/30.3.15	37500
9	श्रीमति दौलतू देवी पत्नी श्री रत्नू	गाँव चैंदल, बसन्तपुर	85/30.3.15	37500
कुल				**197000**

(ख) ₹1.38 लाख नकद आय को सीधे व्यय करना:-

पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-ज** पर प्रस्तुत विवरण के अनुसार सामान्य रोकड़ बही में रसीदों से प्राप्त ₹1,37,820/- की समस्त नकद आय को सम्बन्धित बैंक खाते में जमा न करके सीधे व्यय किया गया था, जबकि हि. प्र. पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 6 (3) के अनुसार पंचायत को प्राप्त होने वाली व पंचायत खाते से भुगतान की जाने वाली प्रत्येक राशि का सम्बंधित खाते में जमा करवाया जाना व सम्बंधित खाते से ही भुगतान किये जाने का प्रावधान है। अतः पाई गयी अनियमितता बारे स्पष्टीकरण दिया जाये व भविष्य में उक्त नियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

(ग) ₹1.00 लाख के भुगतान का विवरण न देना:-

सामान्य निधि की रोकड़ बही पृष्ठ-92 पर दिनांक 25.6.2015 को ₹1,00,000/- का भुगतान दर्शाया गया था परन्तु इस सम्बन्ध में कोई भी अन्य विवरण रोकड़ बही में दर्ज नहीं था जिससे व्यय की वास्तविक पुष्टि नहीं हो सकी व प्रकरण संदेहास्पद प्रतीत होता है। अतः इस सम्बन्ध में तथ्यों की छानबीन करके वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाये व रोकड़ बही में उक्त भुगतान का पूर्ण विवरण दर्शाते हुये न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये।

(घ) ₹ 0.12 लाख की हस्तगत राशि का संभावित गबन:-

सामान्य निधि की रोकड़ बही पृष्ठ-86 पर दिनांक 31.3.2015 को हस्तगत राशि का अन्त शेष ₹12,311/- था परन्तु यह शेष मात्र ₹211/- ही दर्शाया/लिया गया था। इससे स्पष्ट होता है कि हस्तगत ₹12,100/- का संभावित गबन किया गया है। अतः इस पूरे प्रकरण की छानबीन करके संबन्धित कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार उचित

कार्यवाही अमल में लाई जाये ताकि भविष्य में इस प्रकार की वित्तीय अनियमितता की पुनरावृति न हो। इसके साथ ही ₹12,100/- की हस्तगत राशि की शीघ्र वसूली उपरान्त कृत अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये।

(ड़) ₹ 0.08 लाख का अनियमित प्रकार से अधिक भुगतान:-

निर्माण कार्य महिला मण्डल , बसंतपुर के मस्ट्रोल संख्या 31368 , अवधि 1.12.2015 से 13.12.2015 द्वारा मजदूरों को ₹17,000/- का भुगतान किया गया। यह भुगतान सामान्य रोकड़ बही के पृष्ठ-84 पर दिनांक 27.3.2015 को दर्ज किया गया था। परंतु निम्न विवर्णानुसार वास्तव में ₹9,910/- ही देय थी। इस प्रकार ₹7,090/- का अधिक भुगतान किया गया जिसके सम्बंध में स्पष्टीकरण दिया जाए व अधिक भुगतान को न्यायोचित ठ्हराया जाए अन्यथा इसकी उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपलना अंकेक्षण को दिखाई जाए :- kkk

मजदूरों की संख्या	कार्य दिन	वास्तविक दर प्रति दिन (₹)	भुगतान की गयी दर प्रति दिन (₹)	अन्तर (₹)	अधिक भुगतान (₹)
4 अकुशल	40	180	300	120	4800 (120x40 दिन)
1 कुशल	10	271	500	229	2290 (229x 10 दिन)

(च) निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत राशि रखना:-

पंचायत की सामान्य रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार हस्तगत राशि को निर्धारित सीमा ₹1,000/- से अधिक हस्तगत रखा गया था, जोकि हि. प्र. पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10(3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक हैं। यहाँ यह सूचित करना भी उचित होगा कि रसीदों से प्राप्त नकद आय व चैक से आहरित राशि को कई-2 दिनों तक हस्तगत रखा गया था जिससे राशियों के अस्थाई दुर्विनियोजन की पूर्ण सम्भावना है। अत: नियमों के विपरीत हस्तगत राशि को

रखने का औचित्य स्पष्ट किया जाये व छानबीन करके सुनिश्चित किया जाये कि पंचायत निधि का कहीं भी दुरुपयोग नहीं हुआ है अन्यथा नियमानुसार कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाये ताकि भविष्य में इस प्रकार की वित्तीय अनियमितता की पुनरावृति न हो। अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये:-

रोकड़ बही पृष्ठ	**दिनांक**	**हस्तगत राशि (₹)**
41	9.4.13	8206
43	29.4.13	5818
49	29.6.13	11159
54	30.9.13	2337
57	26.10.13	4339
59	18.11.13	24379
62	6.12.13	30374
62	30.12.13	13254
63	28.1.14	68804
63	26.2.14	7662
65	2.4.14	13932
72	30.8.14	25666
73	11.9.14	14996
75	14.11.14	7070
77	13.12.14	6134
80	3.1.15	3387
94	14.8.15	10390
95	22.8.15	11128
96	23.9.15	8148
97	22.10.15	22997

(छ) ₹0.67 लाख के विविध बिल/वाउचर/अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि चयनित माह 3/2015 एवं 11/2015 में सामान्य निधि के व्यय से संबन्धित ₹66,000/- के निम्न बिल/वाउचर अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे व्यय की पूर्ण जांच सम्भव नहीं हो सकी जो कि

अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः निम्न अपेक्षित अभिलेख शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये:-

(i) रोकड़ बही पृष्ठ-86 पर दिनांक 31.3.2015 को कम्प्युटर मुरम्म्त हेतु ₹6,000/- का भुगतान किया गया दर्शाया था , शेष विवरण नहीं दिया गया था , परन्तु बिल/वाउचर अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये।

(ii) रोकड़ बही पृष्ठ-98 पर दिनांक 16.11.2015 को 'कंवर गुड्स कैरियर " को ₹60,000/- का भुगतान दर्शाया गया था , शेष विवरण नहीं दिया गया था, परन्तु बिल/वाउचर अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये।

(iii) रोकड़ बही पृष्ठ-98 पर दिनांक 16.11.2015 को सिलाई अध्यापिका श्रीमति सुषमा शर्मा को माह 10/2014 से 3/2015 तक वेतन ₹9,600/- (₹1600 प्रतिमहx6 माह) का भुगतान दर्शाया था , परन्तु 'वेतन अधिसूचना" की प्रति अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गयी।

मनरेगा:-

16 (क) चयनित माह 6/2013 के ₹5.48 लाख के बिल/वाउचर/अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि चयनित माह 6/2013 में मनरेगा रोकड़ बही के पृष्ठ 89 से 95 में कुल ₹5,70,348/- का व्यय किया गया था, परन्तु अंकेक्षण में निम्न विवरणानुसार केवल ₹22,800/- के बिल/वाउचर ही प्रस्तुत किये गये। शेष ₹5,47,548/- (570348-22800) के बिल/वाउचर अपेक्षित जांच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं कि ये गये जिससे व्यय की पूर्ण जांच सम्भव नहीं हो सकी जो कि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः उक्त अभिलेख शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 05, दिनांक 27.9.2016 के प्रतिउत्तर में सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा चर्चा के दौरान मौखिक रूप से सूचित किया गया कि उक्त बिल/वाउचर अभिलेख में नहीं मिल रहे हैं। अतः लाखों रूपये के बिल/वाउचर अभिलेख में न पाया जाना निधि के दुरुपयोग की सम्भावना प्रकट करता है। यह एक गम्भीर मामला है जिसे पंचायती राज विभाग के उच्चाधिकारियों के विशेष रूप से ध्यान में विस्तृत जांच-पड़ताल उपरान्त नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही हेतु लाया जाता है:-

क्रम सं०	बिल सं०/दिनांक	सामग्री	आपूर्तिकर्ता	कार्य का विवरण	रोकड़ बही पृष्ठ	राशि (₹)
1	108/10.6.13	2 टिप्पर रेट	मै० सुशील कुमार शर्मा, बसन्तपुर	टैंक निर्माण, देवी सरण, जाण्डर	90	7600
2	109/10.6.13	-यथोपरि-	-यथोपरि-	टैंक निर्माण, प्रेम सिंह, जाण्डर	90	7600
3	110/10.6.13	-यथोपरि-	-यथोपरि-	टैंक निर्माण, हेम सिंह, मण्डयालु	90	7600
					कुल	**22800**

(ख) ₹ 0.92 लाख व्यय की प्रविष्टियां रोकड़ बही में न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अनुसार प्रत्येक आय-व्यय को लेन-देन की दिनांक को रोकड़ बही में दर्ज किया जाना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मनरेगा योजना की रोकड़ बही में माह 3/2015 में Online व्यय का कुल योग ₹12,50,118/- दर्शाया गया था परन्तु वास्तव में ₹11,57,816/- के व्यय (मस्ट्रोल) की प्रविष्टियां ही रोकड़ बही में दर्ज थीं। इस प्रकार रोकड़ बही में ₹92,302/- के व्यय की प्रविष्टियां नहीं की गई थीं जो कि अनियमित व आपत्तीजनक है। चूंकि वर्ष 2014-15 में व्यय के अंकेक्षण हेतु माह 3/2015 ही चयनित हुआ था इसलिए उपरोक्त व्यय ₹92,302/- की न तो रोकड़ बही में प्रविष्टियां पाई गईं तथा न ही संबन्धित बिल/वाउचर/मस्ट्रोल अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गये। अतः पाई गयी अनियमितता बारे तथ्यों सहित पूर्ण स्थिति स्पष्ट की जाये तथा व्यय ₹92,302/- की प्रविष्टियां रोकड़ बही में अब दर्ज करके संबन्धित बिल/वाउचर/मस्ट्रोल इत्यादि अंकेक्षण में प्रस्तुत किये जाने सुनिश्चित किये जायें।

(ग) ₹ 0.43 लाख के मनरेगा व्यय की निकासी बैंक से न होना:-

मनरेगा रोकड़ बही का अवलोकन करने पर पाया गया कि निम्न निर्माण कार्यों पर ₹43,124/- का व्यय दर्शाया गया था परन्तु भुगतान की निकासी बैंक खाते में नहीं

पाई गयी जिससे भुगतान की प्रविष्टियां संदेहास्पद प्रतीत होती हैं। अतः इस सम्बन्ध में तथ्यों सहित वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाये व उक्त भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये:-

क्रम सं०	**व्यय का विवरण**	**रोकड़ बही पृष्ठ**	**राशि (₹)**
1	टैंक निर्माण श्री सोहन सिंह, कड़ावग हेतु हि०प्र० राज्य नागरिक आपूर्ति निगम से 50 बैग सीमेंट का क्रय	91	10200
2	खाता भूमि सुधार इन्द्र सिंह, जाण्डर हेतु पत्थर ढुलान	94/95	11248
3	(कोई विवरण नहीं)	104	10226
4	टैंक निर्माण श्री उमा शंकर , टमरोड़ू हेतु हि०प्र० राज्य नागरिक आपूर्ति निगम से 50 बैग सीमेंट का क्रय	10 (नई रोकड़ बही)	11450
		कुल	**43124**

(घ) ₹0.01 लाख का अधिक भुगतान:-

चयनित माह 3/2015 (रोकड़ वही पृष्ठ-18) में निमान वर्णीत कार्य में मस्ट्रोल संख्या 2483, अवधि 23.2.2014 से 8.3.2014 द्वारा मजदूरों को ₹1,394/- का अधिक भुगतान किया गया जिसकी उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये।

कार्य का नाम	**किया गया भुगतान (₹½)**	**सही गणना के अनुसार जो भुगतान बनता था (₹½)**	**अधिक भुगतान (₹½)**
निर्माण टैंक, राधा देवी पत्नि श्री परस राम, बसन्तपुर	17,388	15,994	1,394

(ड़) मनरेगा योजना की Duplicate रोकड़ बही बनाना:-

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त , बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत में एक रोकड़ बही के निर्माण का प्रावधान है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मनरेगा योजना से संबन्धित अवधि 9.4.2014 से 31.3.2015 तक एक अतिरिक्त (Duplicate) रोकड़ बही (पृष्ठ 1 से 16 तक) भी तैयार की गयी थी। इस रोकड़ बही की प्रविष्टियों को प्रधान द्वारा कहीं भी सत्यापित नहीं किया गया था। चर्चा के दौरान सचिव , ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि उक्त रोकड़ बही के स्थान पर अवधि 9.4.2014 से 31.3.2016 तक की दूसरी वास्तविक रोकड़ बही का निर्माण कर लिया गया है। हालांकि अंकेक्षण को प्रस्तुत अवधि 9.4.2014 से 31.3.2016 तक तैयार दूसरी रोकड़ बही की प्रविष्टियों को भी प्रधान, ग्राम पंचायत द्वारा कहीं भी सत्यापित नहीं किया गया था। इस प्रकार Duplicate रोकड़ बही तैयार करना तथा वास्तविक रोकड़ को प्रधान , ग्राम पंचायत द्वारा सत्यापित न करना अनियमित ही नहीं अपितु गम्भीर आपत्तिजनक भी है। अतः पाई गई गम्भीर अनियमितता बारे तथ्यों सहित पूर्ण स्थिति स्पष्ट की जाये व वास्तविक रोकड़ बही की प्रविष्टियों को प्रधान, ग्राम पंचायत से सत्यापित करवाया जाये तथा यह भी सुनिश्चित किया जाये कि Duplicate रोकड़ बही में कोई भी आय की प्रविष्टि या ऐसा भुगतान न किया गया हो जो दूसरी वास्तविक रोकड़ बही में दर्ज न हो। इसके अतिरिक्त Duplicate रोकड़ बही को उच्चाधिकारियों के पर्यवेक्षण में पूर्ण छानबीन उपरान्त सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से निरस्त किया जाये तथा सुनिश्चित किया जाये कि उक्त Duplicate रोकड़ बही के निर्माण से कोई वित्तीय अनियमितता नहीं हुई है। अनुपालना से अंकेक्षण को तदानुसार अवगत करवाया जाये।

(च) चयनित माह 6/2013 में पाया गया कि बिल संख्या: 284857 , दिनांक 6.6.2013 द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, सुन्नी से 100 सीमेंट बैग की खरीद पर चैक संख्या 636195 , दिनांक 6.6.2013 द्वारा ₹23820/- का भुगतान किया गया½। सचिव ग्राम पंचायत द्वारा बिल के पिछले पृष्ठ पर अंकित किया गया कि उपरोक्त 100 सीमेंट बैग में से 50 सीमेंट बैग निर्माण टैंक श्री आर0 बी0 सिंह , कदोग तथा 50 सीमेंट बैग निर्माण टैंक श्री सोहन सिंह , कदोग को जारी किया गया। परन्तु रोकड़ बही के पृष्ठ 89 पर उपरोक्त 100 सीमेंट बैग में से 50 सीमेंट बैग श्री प्रेम सिंह , जांडर तथा 50 सीमेंट बैग श्री हेम सिंह मंड्यालु को जारी किया गया दर्शाया गया था।

इस प्रकार सुनिश्चित न हो सका कि उपरोक्त 100 बैग सीमेंट किन कार्य हेतु उपयोग किए गए। परिणामस्वरूप मामला संदेहास्पद प्रतीत होता है व वित्तीय अनियमितता से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अत: उक्त प्रकरण की पूर्ण छानबीन करके वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए व 100 बैग सीमेंट का अभिलेख सहित उपयोग सुनिश्चित किया जाये अन्यथा ₹23,820/- की उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपलना अंकेक्षण को दिखाई जाये।

(छ) चयनित माह 6/2013 में पाया गया कि रोकड़ बही पृष्ठ-90 पर बिल संख्या: 111, दिनांक 10.6.2013 द्वारा मै0 सुशील कुमार शर्मा , बसतपुर से दो टिप्पर रेट की खरीद पर चैक संख्या 972714 , दिनांक 15.6.2013 द्वारा ₹7600/- का भुगतान किया गया½। जोकि निर्माण टैंक श्री सोहन सिंह, कड़ावग को जारी किया गया। परन्तु बिल पर सचिव ग्राम पंचायत द्वारा कार्य का नाम निर्माण टैंक श्री कृष्ण सिंह अंकित किया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट न हो सका कि वास्तव में उक्त सामग्री किस कार्य हेतु उपयोग की गयी। इसके अतिरिकत उपरोक्त बिल को प्रधान/सचिव द्वारा सत्यापित भी नहीं किया गया था जोकि अनियमित है। अत: पाई गयी त्रुटियों बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा बिल को सत्यापित करके सामग्री के वास्तविक उपयोग से संबन्धित अभिलेख अंकेक्षण को दिखाया जाये।

(ज) चयनित माह 6/2013 में रोकड़ बही पृष्ठ-89 पर 100 सीमेंट बैग की खरीद पर चैक संख्या: 972705, दिनांक 6.6.2013 को ₹23820/- का भुगतान दर्शाया गया½ था। परन्तु उक्त भुगतान से संबन्धित कोई भी बिल/वाउचर अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे किए गए भुगतान की अंकेक्षण में पुष्टि नहीं ही सकी। अत: इस सम्बंध में स्पष्टीकरण दिया जाए व अपेक्षित अभिलेख शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(झ) मनरेगा कार्यों प्रयुकत मस्ट्रोल में निम्न आपत्तियाँ पाई गयी :-

(i) अधिकतर मस्ट्रोल में भुगतानों को प्रधान व सचिव द्वारा सत्यापित/पारित नहीं किया गया था।

(**ii)** मनिटरिंग कमेटी के सदस्यों द्वारा मस्ट्रोल पर कार्यों के संतोषजनक पूर्ण होने के प्रमाण पत्र दर्ज नहीं थे।

(**iii)** अधिकतर मस्ट्रोल में मजदूरों द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए थे।

(**iv)** कई मस्ट्रोल में अत्याधिक कटिंग की गई थी जिसे प्रधान/सचिव द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था।

(**v)** कई मस्ट्रोल के कार्यों का मूल्यांकन (assessment) नहीं किया गया था।

(**vi)** मस्ट्रोल में व्यय से संबन्धित पंचायत का प्रस्ताव संख्या व दिनांक इत्यादि अंकित नहीं थे।

(**vii)** निम्न मस्ट्रोल Duplicate में लगाए गए थे:-

क्रम सं०	**रोकड़ वही पृष्ठ**	**मस्ट्रोल सं०**	**राशि (₹)**
1	22	1713	17248
2	20	1668	4140
3	20	1767	11040
4	24	2920	3312
5	24	1741	10626

अत: उपरोक्त त्रुटियों/अनियमितताओं से स्पष्ट है कि मनरेगा के विभिन्न कार्यों में प्रयोग किए जा रहे मस्ट्रोल को सही प्रकार से तैयार नहीं किया गया था जिससे किए गए भुगतनों को उचित नहीं ठ्हराया जा सकता। अत: इस सम्बंध में तथ्यों सहित स्पष्टीकरण दिया जाए तथा सुनिश्चित किया जाये कि उपरोक्त त्रुटियों के चलते अंकेक्षणाधीन अवधि में कोई भी वितीय हानि/चूक नहीं हुई है। अनुपालना से तदानुसार अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। भविष्य में नियमानुसार ही मस्ट्रोल को तैयार करके भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

17 वॉटर शेड:-

(क) ₹1.18 लाख का संदेहास्पद भुगतान:-

निर्माण कार्य चैक डैम जौहरी नाला से डांडवी तक के मजदूरों के मस्ट्रोल की जांच में पाया गया कि मस्ट्रोल संख्या 31354 , अवधि 1.1.2015 से 31.1.2015 की कुल अदायगी ₹1,51,030/- बनती थी जिस पर मजदूरों के प्राप्ति के हस्ताक्षर थे। परन्तु कुल

योग में कटिंग करके भुगतान केवल ₹1,18,000/- का ही दर्शाया एवं किया गया था। यह भुगतान वाटर शैड रोकड़ बही में दिनांक 10.11.2015 को पृष्ठ-47 पर अंकित था। मस्ट्रोल की कुल भुगतान राशि को किस आधार पर सीमित किया गया का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। मस्ट्रोल की भुगतान राशि को कम करने कोई कारण भी नहीं बताया गया तथा यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि किन-2 मजदूरों को कितनी-2 राशि का कम भुगतान किया गया है। इसके अतिरिक्त मस्ट्रोल को प्रधान व सचिव द्वारा पारित नहीं किया गया था। अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत मस्ट्रोल का ₹1,18,000/- की सकल अंक की राशि में कुल भुगतान करना संदेहास्पद प्रतीत होता है जिसके सम्बन्ध में पूर्ण तथ्यों की छानबीन सुनिश्चित करके वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाये व भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये।

(ख) ₹1.04 लाख का संदेहास्पद भुगतान:-

निर्माण कार्य चैक डैम आवल से मण्डयालु तक के मजदूरों के मस्ट्रोल की जांच में पाया गया कि मस्ट्रोल संख्या 31362 , अवधि 1.10.2015 से 31.10.2015 की कुल अदायगी ₹1,58,534/- बनती थी परन्तु कुल योग में कटिंग करके भुगतान केवल ₹1,04,000/- का ही दर्शाया एवं किया गया था। यह भुगतान वाटर शैड रोकड़ बही में दिनांक 10.11.2015 को पृष्ठ-47 पर अंकित था। मस्ट्रोल की कुल भुगतान राशि को किस आधार पर सीमित किया गया का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। मस्ट्रोल की भुगतान राशि को कम करने कोई कारण भी नहीं बताया गया तथा यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि किन-2 मजदूरों को कितनी-2 राशि का कम भुगतान किया गया है। इसके अतिरिक्त मस्ट्रोल में किसी भी मजदूर द्वारा राशि प्राप्त करने के हस्ताक्षर नहीं किये गये थे तथा न ही मस्ट्रोल को प्रधान व सचिव द्वारा पारित किया गया था। अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत मस्ट्रोल का ₹1,04,000/- की सकल अंक की राशि में कुल भुगतान करना संदेहास्पद प्रतीत होता है जिसके सम्बन्ध में पूर्ण तथ्यों की छानबीन सुनिश्चित करके वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाये व भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये।

(ग) ₹0.12 (0.09+0.03) लाख की सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में वापिस न लेने पर हानि:-

(i) बिल संख्या 027, दिनांक 8.8.2015 द्वारा शर्मा ट्रेडर्स को 85 सीमेंट बैग क्रय करने पर ₹29,325/- (₹345 प्रति बैग) का भुगतान किया गया जोकि रोकड़ बही पृष्ठ-48 पर दिनांक 23.11.2015 को दर्ज किया गया था। यह सामग्री निर्माण कार्य चैक डैम जौहरी **नाला से** डांडवी को जारी किया गया। परन्तु मापन पुस्तिका संख्याः पी0आर0डी0–13446 के पृष्ठ–71 पर उपभोग तालिका अनुसार उपरोक्त कार्य पर केवल 58 सीमेंट बैग की खपत हुई। इस प्रकार 27 (85–58) सीमेंट बैग को न तो स्टॉक रजिस्टर में वापिस लिया गया तथा न ही अन्य निर्माण कार्य को जारी किया गया। परिणामस्वरुप पंचायत को ₹9,315 (27 बैग x ₹345 प्रति बैग) की हानि हुई जोकि अनियमित है। अतः उपरोक्त हानि बारे तथ्य सहित स्थिति स्पष्ट की जाए व इसकी उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये।

(ii) बिल संख्या 014, दिनांक 18.1.2013 द्वारा मै0 कंवर गुडस कैरियर, गांव व डाकखाना बसन्तपुर, सुन्नी को 1800 घन फुट रेत का क्रय करने पर ₹54,000/– (1800 घन फुट x ₹30 प्रति घन फुट) का भुगतान किया गया जोकि रोकड़ वही के पृष्ठ–21 पर दिनांक 10.6.2013 को दर्ज किया गया था। यह सामग्री निर्माण कार्य कुहल देवरी नाला से पिरगली को जारी किया गया परन्तु मापन पुस्तिका संख्याः पी0आर0डी0–13446 के पृष्ठ–28 पर उपभोग तालिका अनुसार उपरोक्त कार्य पर केवल 1697 घन फुट (48.071 घन मीटर x 35.31 फैक्टर) रेत की खपत हुई। इस प्रकार 103 घन फुट (1800–1697) रेत को न तो स्टॉक रजिस्टर में वापिस लिया गया तथा न ही अन्य निर्माण कार्य को जारी किया गया। परिणामस्वरुप पंचायत को ₹3,090/– (103 घन फुट x ₹30 प्रति घन फुट) की हानि हुई जोकि अनियमित है। अतः उपरोक्त हानि बारे तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट की जाए व इसकी उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

(**घ) गणना की गलती के कारण ₹0.04 लाख का अधिक भुगतान:-**

निर्माण कार्य कुहल देवरी नाला से पिरगली के मस्ट्रोल संख्या: 3 माह 2/2013 की जांच करने पर पाया गया कि मस्ट्रोल की सही गणना अनुसार मजदूरों को ₹65,442/- का भुगतान देय बनता था जबकि गणना में गलती के कारण कुल ₹69,082/- का भुगतान किया गया। इस प्रकार ₹3,640/- का अधिक भुगतान किया गया। यह भी स्पष्ट नहीं किया गया था कि कुल योग में दर्शाया गया अधिक भुगतान

किन-2 मजदूरों को किया गया। अतः ₹3,640/- के अधिक भुगतान बारे स्थिति स्पष्ट करते हुये इसे न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी उचित स्त्रोत से वसूली उपरान्त कृत अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये।

(ड़) अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना:-

वाटर शैड निधि से दिनांक 10.11.2015 को निम्न स्वयं सहायता समूहों को ₹50,000/– आबंटित की गई जिसके सम्बन्ध में अभिलेख में केवल प्राप्ति रसीदें ही संलग्न थी। सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि यह राशि Revolving Fund योजना के अन्तर्गत प्रदान की गई है जिसे डेढ वर्ष पश्चात पंचायत को वापिस किया जाना है। परन्तु राशियों के आबंटन से सम्बन्धित सक्षम अधिकारी का स्वीकृति पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके सम्बन्ध में स्पष्टीकरण दिया जाये व अपेक्षित स्वीकृति पत्र अंकेक्षण में शीघ्र प्रस्तुत किया जाये ताकि आबंटित राशि को उचित ठहराया जा सकेः–

क्रम सं0	रोकड़ वही पृष्ठ	प्राप्त कर्ता का नाम	दिनांक	राशि
1	47	मीरा देवी, प्रधान शिव भक्ति स्वयं सहायता समुह, कदोग, बसन्तपुर	10.11.2015	25000
2	47	प्रधान स्वयं सहायता समुह, तरौर, बसन्तपुर	10.11.2015	25000
			योग	**50000**

उपरोक्त क्रम संख्याः 2 पर आबंटित राशि का प्राप्ति रसीद पर प्रधान स्वयं सहायता समूह का नाम अंकित नहीं था तथा न ही भुगतान को प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत द्वारा पारित किया गया था जिसके सम्बन्ध में अब अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

18 रसीद बुकों बारे:-

(क) ₹12.82 लाख की प्राप्त राशि की रसीदें जारी न करना:-

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 के अनुसार जब कभी भी पंचायत द्वारा किसी भी प्रकार की आय प्राप्त की जायेगी उस स्थिति में सचिव द्वारा फार्म-3 में उस प्राप्ति के बदले में रसीद जारी की जानी अपेक्षित थी। चयनित मासों में अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न विवरण अनुसार ₹12,81,900/- की प्राप्त आय के बदले में सचिव द्वारा कोई रसीद जारी नहीं की गई थी। अत: इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये प्राप्त आय के बदले में रसीद जारी किया जाना सुनिश्चित किया जाए:-

क्रम सं०	विवरण	रोकड़ बही दिनांक	रोकड़ बही अनुसार

			प्राप्त राशि (₹)
1	भू-राजस्व	17.9.2013	126
2	मानदेय पंचगण	17.9.2013	41375
3	खण्ड विकास अधिकारी से अनुदान प्राप्त	17.9.2013	251
4	जिला पंचायत अधिकारी से प्राप्त	27.9.2013	40000
5	खण्ड विकास अधिकारी से अनुदान प्राप्त	6.6.2014	1142
6	भू-राजस्व	6.6.2014	117
7	खण्ड विकास अधिकारी से अनुदान प्राप्त	30.6.2014	537000 (75000+73000+299000+ 90000)
8	भू-राजस्व	10.2.2016	70000
9	खण्ड विकास अधिकारी से अनुदान प्राप्त	10.2.2016	167000
10	जिला पंचायत अधिकारी से प्राप्त	25.2.2016	15236
11	भू-राजस्व	25.2.2016	45
12	जिला पंचायत अधिकारी से प्राप्त	25.2.2016	409608
कुल			**1281900**

(ख) रसीदों में तिथियों को आरोही क्रम में अंकित न करना:-

रसीद बुकों का अवलोकन करने पर पाया गया कि निम्न वर्णित प्रकरणों में जारी रसीदों में तिथियां आरोही क्रम में अंकित नहीं थीं जिसके सम्बन्ध में उचित स्पष्टीकरण दिया जाये व भविष्य में उचित प्रकार से आरोही क्रम में दिनांक अंकित किया जाना सुनिश्चित किया जाये:-

क्रम सं०	रसीद संख्या	दिनांक	राशि (₹)
1	19002	23.9.2013	201717
2	19003	10.9.2013	1425

3	19004	21.9.2013	51

(ग) रसीद बुकों के स्टॉक रजिस्टर का रख-रखाव न करना:-

हि. प्र. पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र फॉर्म-3 पर रसीद बुकों के स्टॉक रजिस्टर का निर्माण करना अपेक्षित है। परन्तु सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि आय के संग्रह हेतु उक्त रजिस्टर का निर्माण नहीं किया गया था जो कि अनियमित ही नहीं अपितु आप्तिजनक भी है। अतः पाई गयी त्रुटि बारे उचित स्पष्टीकरण दिया जाये तथा भविष्य में स्टॉक रजिस्टर का नियमानुसार रख-रखाव किया जाये ताकि किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता की सम्भावना न रहे।

(घ) रसीद बुकों में दिनांक अंकित न करना:-

रसीद बुकों के सामान्य अवलोकन पर पाया गया कि निम्न उदाहरणों में प्राप्त राशियों की रसीदें जारी की गयी थीं परन्तु इनमें दिनांक अंकित नहीं थी जिससे यह स्पष्ट न हो सका कि वास्तव में किस दिनांक को राशि प्राप्त हुई थी जो कि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः पाई गयी त्रुटि बारे उचित स्पष्टीकरण दिया जाये व अंकेक्षणाधीन अवधि में इस प्रकार की समस्त जारी रसीदों में वास्तविक दिनांक अंकित करना सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये। भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता न दोहराई जाये:-

क्रम सं०	रसीद संख्या	प्राप्त राशि (₹)	रोकड़ बही पृष्ठ	रोकड़ बही दिनांक
1	19017	3000	88	16.4.2015
2	19018	48	88	16.4.2015
3	19019	47	88	16.4.2015
4	19049	500	93	29.7.2015
5	19055	2000	93	29.7.2015
6	19079	3600	93	29.7.2015

19 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्धारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का

रख-रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए:-

क्रम सं0	**रजिस्टर/ अभिलेख**	**फॉर्म संख्या**	**संदर्भित नियम**
1	मासिक बैंक समाधान विवरणी		7(2)
2	निवेश रजिस्टर	1	12 (1)
3	खाता बहियाँ (Ledger Accounts)	7	29(1)
4	वर्गीकृत सार (Classified Abstract)	8	29(4)
5	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
6	विविध माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
7	बजट प्राक्कलन	11	37
8	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
9	डाक टिकट रजिस्टर	24	61 (2)
10	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25से 26	72(1)(ए०से सी०)
11	लेखन सामग्री रजिस्टर	28	72(1)(डी०)
12	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
13	निर्माण कार्यों का रजिस्टर (केवल मनरेगा)		103

20 विविध:-

(क) हि. प्र. पंचायती राज (वित्त , बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10(2) के अनुसार सामग्री के क्रय पर आपूर्तिकर्ताओं को केवल चैक द्वारा भुगतान करने का प्रावधान है, परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस प्रकार का अधिकतर भुगतान चैक से स्वंय राशि आहरित करके व हस्तगत राशि से नकद रूप में किया गया था। भुगतान की रसीद/ पावतियाँ भी प्राप्त नहीं की गई थीं जिससे पंचायत निधि के

दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः पाई गई अनियमितता बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये व अंकेक्षणाधीन अवधि में इस प्रकार के नकद भुगतानों की रसीद/पावती आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त कर के आगामी अंकेक्षण मैं दिखाई जाए व भविष्य में संबन्धित नियमों की पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित की जाये।

(ख) हि. प्र. पंचायती राज (वित्त , बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अनुसार पंचायत द्वारा स्वीकृत व्यय से सम्बन्धित प्रस्ताव संख्या व दिनांक प्रत्येक बिल/वाउचर पर अंकित किया जाना अपेक्षित है ताकि कोई भी **व्यय** पंचायत की स्वीकृति के बिना न हो। परन्तु अंकेक्षणाधीन अवधि में उपरोक्त निर्देशों की पूर्ण अवहेलना हुई है जोकि अनियमित है। अतः पाई गई अनियमितता बारे स्पष्टीकरण दिया जाये तथा सुनिश्चित किया जाए कि अंकेक्षणाधीन अवधि में कोई भी व्यय पंचायत की स्वीकृति के बिना नहीं किया गया है। अनुपालना से अंकेक्षण को तदानुसार अवगत करवाया जाए। भविष्य में उपरोक्त नियम का कढ़ाई से पालन किया जाए।

(ग) हि. प्र. पंचायती राज (वित्त , बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत प्रधान द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(घ) हि ० प्र ० पंचायती राज (वित्त, बजट , लेखे , संपरीक्षा , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु अनुभागी समिति (Participatory Committee) बनाए जाने का प्रावधान है। सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि अवधि 4/2013 से 3/2016 के दौरान इस प्रकार की कोई समिति ग्राम पंचायत द्वारा नहीं बनाई गई थी। अत: नियम 93(ए)(1) के अंतर्गत अनुभागी समिति न बनाने के कारणों को स्पष्ट किया जाए तथा इस समिति का गठन यथाशीघ्र किया जाए।

(ड़) हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अन्तर्गत सचिव, ग्राम पंचायत द्‌वारा फार्म 14 अनुसार रोकड़ वही का निर्माण कार्य किया जाना अपेक्षित है। परन्तु अवलोकन करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा पुरानी रोकड़ वहियाँ ही प्रयोग में लाई गई थी जोकि अनियमित है। अतः इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण दिया जाये तथा भविष्य में उपरोक्त नियम अनुसार ही रोकड़ वहियाँ का रख–रखाव सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

21 लघु आपति विवरणिका:- लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई हैं लघु आपत्तियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान कर लिया गया।

22 निष्कर्ष:- लेखों के रख-रखाव एवं सुधार की अधिक आवश्यकता है।

हस्ता/–
(सतपाल सिंह)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)XV(1)35/2016–खण्ड–1 –1013–1016 दिनाँकः 15.02.2017
शिमला–171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत
1. सचिव, ग्राम पंचायत बसन्तपुर, विकास खण्ड बसन्तपुर, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, शिमला, जिला शिमला, हि0प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बसन्तपुर, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हि0प्र0

हस्ता/–
(सतपाल सिंह)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.